



उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, रामगढ़।

(राजस्व शाखा)

—:: अनापत्ति प्रमाण-पत्र ::—

महाप्रबंधक, हजारीबाग क्षेत्र, चरही, सी0सी0एल0 का पत्रांक—GM (H)/P&P/2021-22/437, दिनांक—20.12.2021 के आलोक में रामगढ़ जिला के माण्डू अंचल अन्तर्गत ग्राम पचन्दा एवं बसंतपुर में सी0सी0एल0, हजारीबाग क्षेत्र, चरही अन्तर्गत बसंतपुर तापिन कोकिंग कोल वाशरी हेतु चिन्हित गैरमजरूआ खास जंगल-झाड़ी भूमि रकवा-5.25 एकड़ हेतु Deemed Forest भूमि (जंगल-झाड़ी) के संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र। गैरमजरूआ (जंगल-झाड़ी) भूमि जो निम्नवत् है :-

क्र० स०	अंचल का नाम	मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा (एकड़ में)	किस्म जमीन
1	माण्डू	पचण्डा	107	01	01	2.00	जंगल-झाड़ी
					119	1.73	
2		बसंतपुर	105	71	86	1.52	
कुल रकवा						5.25	

कुल रकवा-5.25 एकड़ में सन्निहित है, तथा अधिसूचित वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि आदि से बाहर है, के अपयोजन हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय। पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात इसके विधिवत हस्तान्तरण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा गैरमजरूआ भूमि के हस्तान्तरण के प्रस्ताव की प्रक्रिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जाएगा। गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी (Deemed Forest) भूमि के सशुल्क हस्तान्तरण/लीज बंदोबस्ती हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत किया जाएगा।

ह०/—

उपायुक्त,
रामगढ़।

ज्ञापांक : 225 / रा०,

रामगढ़, दिनांक : 14/02 / 2022

प्रतिलिपि :- अंचल अधिकारी, माण्डू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- महाप्रबंधक, हजारीबाग क्षेत्र, चरही, सी0सी0एल0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, रामगढ़ को जिला पोर्टल पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सरकार के संयुक्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

राजदीपि
11.02.2022
उपायुक्त,
रामगढ़।